



क्रमांक/आई.टी./पद स्वीकृति/2018/51

भोपाल, दिनांक 10.05.2018

आदेश

संचालनालय के पूर्व पत्र क्रमांक/योजना/पद स्वीकृति/पी.ए./2017-18/25 भोपाल दिनांक 25.01.2018 की कण्डिका 2 में संविदा सहायक ग्रेड-3/डेटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदों पर स्थानीय स्तर पर अधिकृत एजेन्सी अथवा जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति करने की अनुमति दी गई थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में संविदा सहायक ग्रेड-3/डेटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदों पर संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा सीधे जेम पोर्टल के माध्यम से ही नियुक्ति की जाएँ।

यदि पूर्व में कोई नियुक्तियां स्थानीय स्तर पर अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से की गई हैं तो उन्हें 31 मई 2018 के उपरांत निरस्त कर दिया जाए तथा भविष्य में जेम पोर्टल के माध्यम से ही संविदा सहायक ग्रेड-3/डेटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति की जाए।

इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। यदि किसी अधिकारी द्वारा इन निर्देशों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे कदाचार का दोषी मानकर उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(जयश्री कियावत)

आयुक्त

लोक शिक्षण, म0प्र0

भोपाल, दिनांक 10.05.2018

पृ.क्रमांक/आई.टी./पद स्वीकृति/2018/52  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर आपकी टीप दिनांक 26.04.2018 के तारतम्य में सूचनार्थ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/समस्त आहरण संवितरण अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. समस्त प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल/उमावि, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त  
लोक शिक्षण, म0प्र0